

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

THREE NEW CRIMINAL LAWS WERE ENACTED AFTER EXTENSIVE DELIBERATIONS IN THE HOUSE AND STANDING COMMITTEE ALONG WITH PUBLIC PARTICIPATION: LOK SABHA SPEAKER/सदन और स्थायी समिति में व्यापक विचार-विमर्श और जनभागीदारी के बाद तीन नए आपराधिक कानून बनाए गए: लोकसभा अध्यक्ष

...

UNDERSTANDING OF INDIA'S LEGAL FRAMEWORK, PARLIAMENTARY PROCEEDINGS, AND INDIA'S DEMOCRATIC SYSTEM ESSENTIAL FOR DIPLOMATS: LOK SABHA SPEAKER/राजनियकों के लिए भारत के कानूनी ढांचे, संसद की कार्यवाही, और भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की समझ आवश्यक: लोक सभा अध्यक्ष

•••

NEW LAWS ADDRESS CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY: LOK SABHA SPEAKER/नए कानून समकालीन समाज की चुनौतियों का समाधान करते हैं: लोकसभा अध्यक्ष

...

PEOPLES' CONFIDENCE IN OUR LEGISLATIVE PROCESS HAS GROWN OVER THE LAST 75 YEARS: LOK SABHA SPEAKER/पिछले 75 वर्षों में हमारी विधायी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़ा है: लोकसभा अध्यक्ष

• • •

INDIA HAS ALWAYS RESPECTED INTERNATIONAL LAWS AND HAS BEEN A STRONG VOTARY OF HUMAN RIGHTS: LOK SABHA

SPEAKER/भारत ने हमेशा से ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया है और मानवाधिकारों का प्रबल पक्षधर रहा हैं: लोकसभा अध्यक्ष

• • •

LOK SABHA SPEAKER ADDRESSES 135 PARTICIPANTS FROM 83 COUNTRIES AT A TRAINING PROGRAMME ORGANISED BY ICPS ON NEW CRIMINAL LAWS/लोकसभा अध्यक्ष ने नए आपराधिक कानूनों पर आईसीपीएस द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 83 देशों के 135 प्रतिभागियों को संबोधित किया

• • •

New Delhi: November 5, 2024: Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla, today said that the three new criminal laws were passed after extensive deliberations in the House and Standing Committee along with public participation. Addressing 135 diplomats/officials from 83 countries at a programme organized by the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies (ICPS) in the Parliament Premises to give information about these laws, Shri Birla observed that the three new criminal laws are in line with the challenges and expectations of the contemporary society.

https://x.com/loksabhaspeaker/status/1853717328611168526

https://x.com/loksabhaspeaker/status/1853742356324855925

Shri Birla noted that these laws have been made in accordance with the changes in technology and the nature of crimes. He further added that the law of India gives the right to justice to the last person and the general public sees the judge as God. He stressed that the public has immense faith in justice, which has become stronger in the journey of 75 years. He said that in today's global environment, it is very important to understand the legal framework and values of each other's countries. This increases diplomatic efficiency and mutual understanding among nations. Shri Birla suggested to the diplomats participating in the program that they should have an understanding of India's legal structure, Parliament proceedings, and India's democratic system.

https://x.com/loksabhaspeaker/status/1853742255888294071

Stating that in the last 75 years, public confidence in our legislative process has continuously increased which reflects the strength of democratic values and

increasing accountability of governance, Shri Birla was of the view that this development has been due to our commitment to transparency, accountability and inclusiveness in legislative work. Lawmakers have worked continuously to meet the changing needs of the society, made laws that protect rights, promote justice and encourage economic development, he noted. He said that this increased confidence underlines a healthy democracy. He described the gender equality embodied in these laws as the basis of the country's system and the basic concept of the Constitution and observed that this feature inspires and guides the world.

Expressing the view that Indian laws always reflect the country's international commitments, Shri Birla said that India has always respected international laws and has been a strong votary of human rights. This commitment of India ensures that laws are made to uphold the dignity, liberty and equality of every citizen, he said. From gender equality, environmental protection to social welfare and progressive policies on anti-discrimination, Indian laws serve as an instrument of empowerment. Referring to India's robust arbitration system, Shri Birla said that arbitration is India's heritage which has been followed and upheld by people since ancient times.

https://x.com/loksabhaspeaker/status/1853742188225851809

Former Chief Justice of India Shri U.U. Lalit also addressed the participants on the occasion.

नई दिल्ली: 5 नवंबर, 2024: लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज कहा कि तीन नए आपराधिक कानून सदन और स्थायी समिति में विस्तृत विचार-विमर्श और जनभागीदारी के बाद पारित किए गए हैं। इन कानूनों के विषय में जानकारी देने के लिए संसद भवन परिसर में संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 83 दूतावासों के 135 राजनियकों /पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानून समकालीन समाज की चुनौतियों और आशाओं के अनुरूप हैं।

https://x.com/loksabhaspeaker/status/1853717328611168526

https://x.com/loksabhaspeaker/status/1853742356324855925

श्री बिरला ने कहा कि टेक्नोलॉजी और अपराधों के स्वरुप में आए बदलावों के अनुरूप इन कानूनों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का कानून अंतिम व्यक्ति को न्याय का अधिकार देता है और आम जनता न्यायाधीश को भगवान के रूप में देखती है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय पर जनता का अति विश्वास है, जो 75 वर्षों की यात्रा में और अधिक मज़बूत हुआ है। उन्होंने कहा कि आज के वैश्विक माहौल मंक एक दूसरे के देशों के कानूनी ढांचे और मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है। इससे राजनयिक दक्षता और राष्ट्रों के बीच आपसी समझ बढ़ती है। श्री बिरला ने कार्यक्रम में भाग ले रहे भारत में कार्यरत विभिन्न देशों के राजनयिकों को सुझाव दिया कि वे भारत के लीगल स्ट्रक्चर, संसद की कार्यवाही, और भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की समझ रखें।

https://x.com/loksabhaspeaker/status/1853742255888294071

श्री बिरला ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में हमारी विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास लगातार बढ़ा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और शासन की बढ़ती जवाबदेही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विधायी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता से यह विकास हुआ है। विधिनिर्माताओं ने समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम किया है, अधिकारों की रक्षा करने वाले, न्याय को बढ़ावा देने वाले और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बढ़ा हुआ विश्वास एक स्वस्थ लोकतंत्र को रेखांकित करता है। उन्होंने इन कानूनों में समाहित लैंगिक समानता को देश की व्यवस्था का आधार और संविधान की मूल अवधारणा बताया और कहा कि यह विशेषता दुनिया को मार्गदर्शन देती है।

यह विचार व्यक्त करते हुए कि भारतीय कानून सदैव देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया है और मानवाधिकारों का प्रबल पक्षधर रहा हैं। उन्होंने कहा कि भारत की यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि कानून प्रत्येक नागरिक की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखने के लिए बनाए जाएं। लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण से लेकर सामाजिक कल्याण और भेदभाव विरोधी प्रगतिशील नीतियों तक, भारतीय कानून सशक्तिकरण के साधन के रूप में काम करते हैं। भारत के मज़बूत आर्बिट्रेशन सिस्टम का

उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि आर्बिट्रेशन भारत की विरासत है जिसे प्राचीन काल से ही लोग अपनाते और मानते आए हैं।

https://x.com/loksabhaspeaker/status/1853742188225851809

इस अवसर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री यू.यू. लिलत ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।